संख्याः-68/2024//001-649-23-12-2024-23-12002-002-5-2023

प्रेषकः

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ, दिनांक 10 अक्टूबर ,2024

विषय-जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग सं0-188 स्पेशल पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0-210/पुन0आग0-सम्पार सं0-188स्पे0/लखनऊ/बी0एम0सी0/2024, दिनांक 25.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत कार्य/परियोजना के सम्बन्ध में पुनरीक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 25.07.2024 में किये गये प्रस्तावानुक्रम में जनपद लखनऊ में गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (राज्य मार्ग सं0-136) पर अनूपगंज में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग सं0-188 स्पेशल पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-61/2023/001-845-23-12-2023-845-2023 दिनांक 09.10.02023 द्वारा रू0 11909.92 लाख (रूपये एक अरब उन्नीस करोड़ नौ लाख बान्नबे हजार मात्र) की प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के स्थान पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त कार्य हेतु धनराशि रू0 14044.78 लाख (रूपये एक अरब चालीस करोड़ चौवालिस लाख अठहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(6) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के शासनादेश सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/सीआरआईएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036) दिनांक 11-10-2022 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर किया जा रहा है। अतः प्रायोजना हेतु निर्माण लागत 2 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज अनुमन्य किया गया है। अन्तिम निर्णय नीति निर्धारण के अनुसार होगा।

(8) प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की मूल स्वीकृत लागत रू0 4097.65 लाख थी, जिसे मुख्य सेतु में बढ़ोत्तरी के कारण लागत रू0 2272.82 लाख प्रस्तावित की गयी है। मुख्य सेतु की लागत को यथावत् सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यू०पी०पी०सी०एल० कार्यों हेतु रू0 108.13 लाख एवं वन विभाग द्वारा रू0 26.38 लाख अनुमन्य किया गया है। प्रशासकीय विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भवनों के ध्वस्तीकरण एवं मुआवजा हेतु रू0 111.65 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रशासकीय विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (8403 व०मी०) हेतु लागत रू0 2652.82 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रशासकीय विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(13) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(14) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर०ओ०बी० निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0 वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टिगत से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(17) लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(18) लोक निर्माण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा दिये गए निर्देशों, शर्तों एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे, जिनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-261-एक्स-2024-25, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-68/2024//001-649(1)-23-12-2024-23-12002-002-5-2023तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता, सेतु, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।